



# भारत का राजपत्र


## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 584 ]  
No. 584 ]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 15, 1997/आश्विन 23, 1919  
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 15, 1997/ASVINA 23, 1919

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर, 1997

प्रलेख सं. सीडी-728/97

का. आ. 727(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य आबंधन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य आबंधन) (दो सौ सैंतीसवां संशोधन) नियम, 1997 है ।
- (2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत सरकार (कार्य आबंधन) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में,—

(अ) "कृषि मंत्रालय" शीर्षक के अधीन,—

- (i) उप शीर्षक "क. कृषि और सहकारिता विभाग" के नीचे, प्रविष्टि 6 का लोप किया जाएगा ।
- (ii) उपशीर्षक "ख. कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग" के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियां 2, 3, 8 और 12 के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् —

"2. मूल अनुप्रयुक्त और सक्रियात्मक अनुसंधान तथा उच्चतर शिक्षा जिसमें ऐसे अनुसंधान का समन्वय तथा कृषि, कृषि यानिकी, पशुपालन, डेरी, मछली पालन, कृषि अभियांत्रिकी और उद्योग जिसमें कृषि सांख्यिकी अर्थशास्त्र एवं विपणन सम्मिलित हैं ।";

"3. उच्चतर शिक्षा या अनुसंधान संस्थाओं और वैज्ञानिक तथा तकनीकी संस्थाओं में समन्वय और मानकों का अवधारण जहां तक उनका संबंध खाद्य तथा कृषि से है जिसमें पशुपालन, डेरी तथा मछली पालन भी सम्मिलित हैं । कृषि अनुसंधान/विस्तार तथा शिक्षा में मानव संसाधन विकास का विभाग।";

"8. पादप, पशु और मछली प्रवर्तन तथा समन्वेषण ।";

"12. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा इसके अंगीभूत संस्थानों, राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों, परियोजनाओं निदेशालयों ब्यूरो तथा अखिल भारतीय समन्वित परियोजनाओं ।";

(iii) उप शीर्षक "ग. पशुपालन और डेरी विभाग" के नीचे प्रविष्टि संख्या 3 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

- "3क. मछली पकड़ना और मछली पालन अंतरदेशीय तथा सामुद्रिक ।
- 3ख. राज्यक्षेत्रीय सागर खंड के अतिरिक्त मछली पकड़ना और मछली पालन ।
- 3ग. भारतीय मछली उद्योग सर्वेक्षण मुम्बई ।";

§आ§ "संचार मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, उपशीर्ष "स. दूर संचार विभाग" के नीचे-, §क§ प्रविष्टियाँ 6 और 12 के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित रखा जायगा; अर्थात्:-

"6. दूरसंचार में अनुसंधान और विकास का संवर्धन ।";

"12. इस सूची के किसी भी मामले की बाबत विधि का प्रकाशन, अर्थात्:-

§i§ भारतीय तार अधिनियम, 1885 §1885 का 13§;

§ii§ भारतीय बेतार-तार यंत्रिक अधिनियम, 1933 §1933 का 17§; और

§iii§ भारतीय दूर संचार विनियामक प्रधिकरण अधिनियम, 1997 §1997 का 24§।";

§ख§ प्रविष्टि 11 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

"11क. दूरसंचार आयोग ।

11ख. भारतीय दूर संचार विनियामक प्रधिकरण ।";

§इ§ "रक्षा मंत्रालय" शीर्षक के अधीन,-

§i§ उप शीर्ष "क. रक्षा विभाग" के नीचे, प्रविष्टि 6 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायगी, अर्थात्:-

"6. सेना, जल सेना और वायु सेना से संबंधित कार्य ।";

§ii§ उपशीर्ष "स. रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग" के नीचे, प्रविष्टि 14 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जायगी, अर्थात्:-

"15. रक्षा निर्यात और रक्षा उत्पादन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ।";

§ई§ "साध प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 2 का लोप किया जायगा;

§उ§ "सूचना और प्रसारण मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जायेंगी, अर्थात्:-

"I. प्रसारण नीति और प्रकाशन

1. संघ के भीतर आकाशवाणी और दूरदर्शन, रेडियो और टेलीविजन से प्रसारण संबंधी समस्त मामले जिसमें लोक सभा और विधान सभा के निर्वाचनों के समय मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय पार्टियों द्वारा उपयोग का विनियमन तथा किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति की मृत्यु पर राष्ट्रीय शोक की अवधि के दौरान सरकारी इलेक्ट्रॉनिक प्रसार माध्यमों द्वारा फलन की जाने वाली प्रक्रिया भी सम्मिलित है ।

2. प्रॉब्लेट भारतीय कंपनियों या भारतीय राष्ट्रकों द्वारा भारत में रेडियो और टेलीविजन प्रसारण से संबंधित विधि का प्रारंभ और क्रियान्वयन ।

3. आकाशवाणी और दूरदर्शन को भारत के लोगों को सूचना देने, शिक्षित करने तथा उनका मनोरंजन करने के अपने प्रथमिक उद्देश्यों की पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए निर्वहन और प्रकाशन ।

4. भारतीय प्रसारण कार्यक्रमों से तथा भारतीय प्रसारण इंजीनियरी सेवा से संबंधित सभी मामले ।

#### II. केबल दूरदर्शन नीति:

5. केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम, 1995 {1995 का 7} ।

#### III. रेडियो

6. आकाशवाणी से संबंधित सभी कारबार जिसमें घरेलू कार्यक्रम, विदेशी राष्ट्रों और विदेशस्थ भारतीयों, रेडियो पत्रिकाओं के लिए कार्यक्रम प्रसारण इंजीनियरी के क्षेत्र में अनुसंधान, विदेशी प्रसारण को माणितर करने, कार्यक्रम आदान-प्रदान और प्रतिस्लेखन सेवा, सामुदायिक श्रवण स्कीम आदि के अधीन राज्य सरकारों को सामुदायिक रिसेपिंग सेटों के प्रवाय में समाचार सेवा समाविष्ट है ।
7. संपूर्ण संघ में प्रसारण का विकास, रेडियो स्टेशनों, ट्रांसमीटरों का संस्थापन और अनुरक्षण तथा प्रसारण सेवा का प्रचालन ।

#### IV. दूरदर्शन

8. दूरदर्शन कार्यक्रमों के जिसके अंतर्गत समाचार टेली कथाचित्र आदि भी हैं, निर्माण, चयन, आयात, निर्यात और टेलीकास्ट से संप्रकृत दूरदर्शन से संबंधित सभी कारबार ।
9. आदान-प्रदान जिसके अंतर्गत दूरदर्शन कार्यक्रमों का सांस्कृतिक आदान-प्रदान भी है ।
10. दूरदर्शन पर वाणिज्यिक विज्ञापन और प्रयोजित कार्यक्रम ।
11. संपूर्ण संघ में दूरदर्शन का विकास जिसमें संस्थापन, अनुरक्षण तथा दूरदर्शन कार्यक्रम निर्माण केंद्रों और ट्रांसमीटरों का प्रचालन तथा दूरदर्शन सेवा का प्रचालन ।
12. दूरदर्शन से बाहर टी0वी0 कार्यक्रमों के निर्माण का संवर्धन ।

#### V. फिल्मों

13. संघ सूची की प्रविष्टि 7 के अधीन विधान अर्थात् "प्रदर्शन के लिए चलचित्र फिल्मों की मंजूरी ।"
14. चलचित्र अधिनियम, 1952 { 1952 का 37 } का प्रशासन ।
15. नाट्यकाला और नाट्यकालेतर फिल्मों देखने के लिए फीचर तथा लघु फिल्मों का आयात ।
16. फीचर और लघु भारतीय फिल्मों का निर्यात ।
17. फिल्म उद्योग द्वारा अपेक्षित अनुकूलित चलचित्र फिल्म और विविध प्रकार के उपकरणों का आयात ।
18. फिल्म उद्योग से संबंधित सभी मामले जिसमें विकास और संवर्धन क्रियारं भी सम्मिलित हैं ।

19. भारत में निर्मित फिल्मों के लिए राज्य पुरस्कारों की स्थापना करना तथा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की सहायता से अच्छे सिनेमा का संवर्धन ।
20. अंतर्राष्ट्रीय और विदेश में प्रचार के लिए कृत्त चित्रों और समाचार चित्रों तथा अन्य फिल्मों और फिल्मों के स्ट्रिप्स का निर्माण और वितरण ।
21. बाल और युवाओं के लिए राष्ट्रीय फिल्म केन्द्र, भारतीय फिल्म और दूरदर्शन संस्थान, पुणे तथा सत्यजीत राय फिल्म तथा दूरदर्शन संस्थान, कलकत्ता को सहायता अनुदान ।
22. फिल्म तथा फिल्म से संबंधित सामग्रियों का परिरक्षण जिसमें राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के क्रियाकलाप भी सम्मिलित हैं ।
23. भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव का आयोजन तथा विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में भारत की भागीदारी ।
24. सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत फिल्मोत्सव का आयोजन ।
25. फिल्म सोसायटी आवेदन ।

#### VI. विज्ञापन और उच्च प्रचार

26. प्रेस, पोस्टर्स, फ्लेडर्स, क्लेण्डर्स, ब्लाटर्स, पत्रकें, विज्ञापन पुस्तकें, सिनेमा स्लाइडों आदि के माध्यम से भारत सरकार के सभी संप्रदर्शी विज्ञापनों का उत्पादन और प्रकाशनार्थ दिया जाना और भारत सरकार की ओर से वर्गीकृत विज्ञापनों का प्रदर्शन भी है ।

#### VII. प्रेस

27. भारत सरकार की नीतियों और क्रियाकलापों का प्रेस के माध्यम से निरूपण और निर्वचन ।
28. प्रेस संबंधी सूचना समस्याओं पर सरकार को सलाह देना, प्रेस में यथा प्रतिवर्तित लोकमत की प्रमुख प्रवृत्ति से सरकार को अवगत कराना तथा सरकार और प्रेस के बीच संपर्क स्थापित करना ।
29. सशस्त्र बलों को और उसके लिए प्रचार ।
30. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 §1974 का 2§ की धारा 95 और 96 तक के प्रकाशन को छोड़कर प्रेस के साथ सरकार के संबंधों का साधारण संचालन ।
31. प्रेस तथा पुस्तक रजिस्ट्रिकेशन अधिनियम, 1867 §1867 का 25§ का समाचारपत्रों से संबंध प्रकाशन ।
32. समाचार पत्रों को असवारी कागज का वितरण ।

#### VIII. प्रकाशन

33. देश की तथा विदेशों की साधारण जनता को भारत के संबंध में अद्यतन और ठीक-ठीक जानकारी कराने की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय तथा विदेश प्रचार के राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर लोकप्रिय पुस्तकें तथा जर्नलों को तैयार करना, विक्रय तथा वितरण ।

### IX. अनुसंधान और संदर्भ

34. सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सूचना माध्यम एकाई को हर उस सामग्री के संग्रहण, संकलन और तैयारी में सहायता करना जिसमें प्रकाशित कृतियों आदि में अनुसंधान करना अंतर्गुप्त है ।

35. मंत्रालय के सूचना माध्यम एकाई के प्रयोग के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर ज्ञान का सार संग्रहण तैयार करना और सामयिक तथा अन्य विषयों पर मार्गदर्शन तथा पृष्ठभूमि टिप्पण तैयार करना ।

X. भारत सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का प्रचार ।

XI. ऐसे गायक और वादक दोनों प्रकार के प्रसिद्ध संगीतज्ञों को नर्तक नर्तकियों को और नाटककारों को जिन्होंने, आकाशवाणी और इस मंत्रालय के अन्य एकाई की सफलता में सात्कृत योगदान दिया है, या निर्धनावस्था वाले उनके उत्तरजीवियों को वित्तीय सहायता ।

XII. पत्रियाई पत्रिका प्रसारण यूनियन, राष्ट्रकुल प्रसारण पत्रिकाप्रसारण और गुटनिरपेक्ष समाचार अभिकरण पूल से संबंधित सारी बातें ।

XIII. भारतीय सूचना सेवा समूह "क" और "ख" का काइर प्रबंध ।

### XIV. संलग्न और अधीनस्थ संगठन

36. {क} आकाशवाणी ।  
 {ख} दूरदर्शन ।  
 {ग} प्रेस सूचना ब्यूरो ।  
 {घ} विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ।  
 {ङ} प्रकाशन प्रभाग ।  
 {च} भारत के समाचार पत्र रजिस्ट्रार का कार्यालय ।  
 {छ} केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ।  
 {ज} फिल्म प्रभाग ।  
 {झ} फिल्मोत्सव निदेशालय ।  
 {ञ} भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार ।  
 {ट} क्षेत्र प्रचार निदेशालय ।  
 {ठ} गीत और नाट्य प्रभाग ।  
 {ड} अनुसंधान संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग ।  
 {ढ} फोटो प्रभाग ।  
 {ण} प्रमाण लेखा कार्यालय ।

### XV. स्वायत्त संगठन

- 37 {क} भारतीय फिल्म और दूरदर्शन संस्थान, पुणे ।  
 {ख} सत्यजीत राय फिल्म और दूरदर्शन संस्थान, कलकत्ता ।

- §ग§ बाल और युवाओं के लिए राष्ट्रीय फिल्म केन्द्र ।
- §घ§ भारतीय जन संपर्क संचार संस्थान ।
- §ङ§ भारतीय प्रेस परिषद् ।

#### XVI. फ़िल्म क्षेत्र उपक्रम

- 38. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड ।
- 39. प्रसारण इंजीनियर्स परामर्शी [भारत] लिमिटेड।";

§च§ "परमाणु ऊर्जा विभाग", शीर्षक के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएगीं, अर्थात्:

"1. निम्नलिखित से संबंधित सभी मामले,-

- §i§ परमाणु ऊर्जा आयोग [पर्सी];
- §ii§ परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड [परमारबी] ।

2. भारत में परमाणु ऊर्जा से संबंधित सभी मामले अर्थात्:-

- §i§ परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 का प्रशासन जिसके अंतर्गत रेडियो-एक्टिव पदार्थों का नियंत्रण और उनके कब्जे, उपयोग, ध्वयन और परिवहन का विनियमन है;
- §ii§ अनुसंधान जिसके अंतर्गत परमाणु ऊर्जा से संबंधित मामलों में मौलिक अनुसंधान और कृषि जीवविज्ञान उद्योग और आयुर्विज्ञान में उसके उपयोगों का विकास है; और

§iii§ परमाणु सैन्य सर्वेक्षण, पूर्वक्षण वरमाना विकास, सनन, अर्जम और नियंत्रण;

§IV§ परमाणु ऊर्जा के विकास और उपयोग से संबंधित सब क्रियाकलाप जिनके अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं:-

- §क§ परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 [1962 का 33] के अधीन विहित पदार्थों और सैन्यों से संबंधित परियोजनाएँ और उद्योग, उनके उत्पाद और उपरेषद;
- §ख§ परमाणु ऊर्जा के उपयोग से बिजली का उत्पादन;
- §ग§ अनुसंधान, विकास और विद्युत रिप्लेटों का डिजाइन, सन्निर्माण और प्रशासन; और
- §घ§ निम्नलिखित के विविध रूप संहित सुविधाओं और संयंत्रों की स्थापना और संचालन:-

§i§ परमाणु ऊर्जा में अनुसंधान और उसके उपयोग के लिए तथा न्यूक्लीय विज्ञानों में अनुसंधान के लिए अपेक्षित सामग्री और उपकरण के उत्पादन के लिए; और

§ii§ समस्याओं के प्रयत्न के लिए जिसमें मुख्य या गैर मुख्य उत्पाद के रूप में भारी पानी के उत्पादन और उपरेषद के रूप में समस्याओं के प्रयत्न के लिए अनुकूलनीय संयंत्र शामिल है ।

§V§ विहित या रेडियो-फैक्टव पदार्थों से संबंधित राज्य उपक्रमों का पर्यवेक्षण जिनके अंतर्गत निम्नलिखित हैं:-

§क§ इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड §आर0आर0ई0पल0§।

§ख§ इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि0 §ई0सी0आर0पल0§।

§ग§ यूरोनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लि0 §यू0सी0आर0पल0§।

§घ§ न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड §पन0पि0सी0आर0पल0§।

§ङ0§ नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जहाँ तक भारी पानी के उत्पादन का संबंध है ।

3. न्यूक्लीय विज्ञानों के अध्ययन को बढ़ावा देने और परमाणु उर्जा कार्यक्रम के विकास के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित जन-शक्ति के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं:-

§i§ वैज्ञानिक कार्यों में लगी हुई संस्थाओं और संगमों को और न्यूक्लीय विज्ञानों में उच्च अध्ययन और अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता ;

§ii§ विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षा संस्थाओं के विद्यार्थियों को वैज्ञानिक विषयों में छात्रवृत्तियों का प्रदान और व्यक्तियों को, जिनके अंतर्गत न्यूक्लीय विज्ञानों के अध्ययनार्थ विदेश जाने वाले विद्यार्थी भी हैं, अन्य रूप में वित्तीय सहायता; और

§iii§ परमाणु औषध को बढ़ावा देने और विकिरण औनकैलेजी पर अनुसंधान के लिए अस्पताल तथा अनुसंधान केन्द्रों को सहायता ।

4. परमाणु उर्जा और नाभिकीय विज्ञान से संबंधित मामलों में अंतर्राष्ट्रीय संबंध जिनके अंतर्गत निम्नलिखित हैं:-

§i§ संयुक्त राष्ट्र संघ विशेषता प्राप्त अभिकरणों में परमाणु उर्जा और नाभिकीय विज्ञान से संबंधित मामले, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु उर्जा अन्य अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठन जिसमें यूरोपिय नाभिकीय अनुसंधान §सी0ई0आर0पन0§ संगठन भी हैं तथा अन्य देशों से संबंध; और

§ii§ विदेशी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, आदि के साथ विदेशी अध्येतावृत्तियों और भारतीय वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण के संबंध में पत्र व्यवहार ।

5. परमाणु उर्जा विभाग के नियंत्रणाधीन कार्मिक संबंधी सभी मामले ।

6. परमाणु उर्जा विभाग के पूंजी बजट के प्रति विकल्पनीय संकर्मों का निष्पन्न और भूमि का क्रय ।

7. परमाणु उर्जा विभाग द्वारा अपेक्षित सामान और उपस्कर का प्रदान किया जाना ।

8. परमाणु उर्जा विभाग के संबंध में वित्तीय मंजूरियाँ ।

9. उच्चतर गणित की उन्नति से संबंधित सभी मामले, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित हैं:-

§i§ उच्च अध्ययन और अनुसंधान की प्रेरणा और समन्वय संबंधी मामले;

§ii§ उच्चतर गणित में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारतीय राष्ट्रीय गणित समिति और अंतर्राष्ट्रीय गणित संघ;

§iii§ उच्चतर गणित की उन्नति में लगे हुए विश्वविद्यालयों, संस्थाओं और संगमों को अनुदान; और

§iv§ उच्च अध्ययन और अनुसंधान के लिए छात्रवृत्तियों का अनुदान और अन्य रूपों में वित्तीय सहायता ।;

10. परमाणु उर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निम्नलिखित सहायता प्राप्त संस्थानों के संबंध में सभी मामले, अर्थात्:-

- §i§ टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, मुम्बई ।
- §ii§ टाटा मेमोरियल केंद्र, मुम्बई ।
- §iii§ साहा नाभिकीय भौतिक विज्ञान संस्थान, कलकत्ता ।
- §iv§ परमाणु उर्जा शिक्षा सोसाइटी, मुम्बई ।
- §v§ गणितीय विज्ञान संस्थान, चेन्नई ।
- §vi§ भौतिक विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर ।
- §vii§ मेहता गणित और गणितीय भौतिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान, स्ताहाबाद ।
- §viii§ प्लाजमा अनुसंधान संस्थान, गांधीनगर ।

11. सहायता अनुदान मंजूरी वाले ऐसे अन्य संस्थानों के सभी मामले जिनके संबंधित क्रियाकलाप परमाणु उर्जा विभाग से प्राप्त निधि द्वारा चलाए जाते हैं ।";

§छ§ "अंतरिक्ष विभाग" शीर्षक के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रसी जाएंगी, अर्थात्:-

1. अंतरिक्ष आयोग और उससे संबंधित सभी मामले ।
2. अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष उपयोगन से संबंधित सभी मामले जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं; अर्थात्:-
  - §i§ अंतरिक्ष और इसके उपयोग से संबंधित अनुसंधान, जिसमें मूलभूत अनुसंधान भी हैं;
  - §ii§ अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित सभी मामले;
  - §iii§ अंतरिक्ष उपयोग से संबंधित सभी मामले; और
  - §iv§ बाह्य अंतरिक्ष के विकास और उसके उपयोग से संबंधित सभी क्रियाकलाप जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं,-

- §क§ बाह्य अंतरिक्ष के उपयोग से संबंधित परियोजनाएं और उद्योग जिसमें अंतरिक्ष का वाणिज्यिक दोहन भी है;
- §ख§ अंतरिक्ष आधारित प्रणाली का संस्थापन, उपपन और उपयोग;
- §ग§ राकेट और सेटलाइट्स का डिजाइन, विनिर्माण और प्रमोचन; और
- §घ§ अंतरिक्ष उपयोगन से संबंधित कार्य ।"

3. अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष उपयोगन में अनुसंधान और अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए और अंतरिक्ष कार्यक्रम के विकास के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं:-

- §i§ वैज्ञानिक कार्य में लगी हुई संस्थाओं और संगमों को और विश्वविद्यालयों को अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष उपयोगन में उच्च अध्ययन और अनुसंधान के लिए सहायता;
- §ii§ अंतरिक्ष विभाग, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष उपयोगन के क्षेत्र में अध्ययन के लिए शिक्षा संस्थाओं में छात्रों को छात्रवृत्तियां देना और व्यक्तियों को जिनमें विदेश जाने वाले व्यक्ति भी हैं अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता देना ।



4. अंतरिक्ष से संबंधित मामलों में अंतर्राष्ट्रीय संबंध जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं :-
- §ii§ संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञ अभिकरणों में अंतरिक्ष से संबंधित और अन्य देशों से संबंधित मामले; और
- §iii§ विदेशी छात्रवृत्तियों और भारतीय वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण के संबंध में विदेश स्थित विश्वविद्यालयों तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं से पत्र-व्यवहार ।
5. विभाग के नियंत्रणाधीन कार्मिक से संबंधित सभी मामले ।
6. अंतरिक्ष विभाग के बजट के नामे डालने योग्य कार्यों का निष्पन्न और भूमि का क्रय ।
7. अंतरिक्ष विभाग द्वारा अपेक्षित सामान और उपस्कर उपकृत करना ।
8. अंतरिक्ष विभाग से संबंधित वित्तीय मंजूरी ।
9. भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद से संबंधित सभी मामले ।
10. राष्ट्रीय सुदूर सुग्राह्यता अभिकरण §पन0जार0पस0प0§ से संबंधित सभी मामले ।
11. राष्ट्रीय प्राकृतिक संपदा प्रबंध प्रणाली से संबंधित सभी विषय जिसके अंतर्गत सुदूर सुग्राह्यता पर मुख्य रूप से आधारित समेकित आँकड़ों की तैयारी और ऐसी जानकारी के विश्लेषण और प्रसारण में सहायता भी है ।
12. राष्ट्रीय मध्यमंडल समताप मंडल और क्षोभमंडल रेडार सुविधा से संबंधित सभी मामले ।
13. अंतरिक्ष कारपोरेशन लिमिटेड ।"।

(के. आर. नारायणन्)

राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/22/1/97-मंत्रिमंडल]

धीरेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 1997

Doc. CD-728/97

S. O. 727(E).— In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :-

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two hundred and thirty-seventh Amendment) Rules, 1997.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule, -

2595/GI/97-2

- (A) under the heading "MINISTRY OF AGRICULTURE (KRISHI MANTRALAYA)", -
- (i) under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION (KRISHI AUR SAHKARITA VIBHAG)", entry 6 shall be omitted;
- (ii) under the sub-heading "B. DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION (KRISHI ANUSANDHAN AUR SHIKSHA VIBHAG)", for the existing entries 2,3,8 and 12, the following entries shall respectively be substituted, namely:-
- "2. Fundamental, applied and operational research and higher education including coordination of such research and higher education in agriculture, agroforestry, animal husbandry, dairying, fisheries, agricultural engineering and horticulture including agricultural statistics, economics and marketing.";
- "3. Coordination and determination of standards in institutions for higher education or research and scientific and technical institutions in so far as they relate to food and agriculture including animal husbandry, dairying and fisheries. Development of Human Resources in Agricultural Research/Extensions and Education.";
- "8. Plant, animal and fish introduction and exploration.";
- "12. Indian Council of Agricultural Research and its constituent Institutes, National Research Centres, Project Directorates, Bureaux and All India Coordinated Projects.";
- (iii) under the sub-heading "C. DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING (PASHUPALAN AUR DAIRY VIBHAG)", after entry 3, the following entries shall be inserted, namely:-
- "3A. Fishing and fisheries, inland and marine.
- 3B. Fishing and fisheries beyond territorial waters.
- 3C. Fishery Survey of India, Mumbai.";

- (B) under the heading "MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SANCHAR MANTRALAYA)", under the sub-heading "B. DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS (DOOR SANCHAR VIBHAG)", -
- (a) for entries 6 and 12, the following entries shall respectively be substituted, namely:-
- "6. Promotion of research and development in telecommunications.";
- "12. Administration of laws with respect to any of the matters in this list, namely:-
- (i) Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885);
- (ii) The Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933); and
- (iii) The Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997).";
- (b) after entry 11, the following entries shall be inserted, namely :-
- "11 A. Telecom Commission.
- 11 B. Telecom Regulatory Authority of India.";
- (C) under the heading "MINISTRY OF DEFENCE (RAKSHA MANTRALAYA)", -
- (i) under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF DEFENCE (RAKSHA VIBHAG)", for entry 6, the following entry shall be substituted, namely:-
- "6. Works relating to Army, Navy and Air Force.";
- (ii) under the sub-heading "B. DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION AND SUPPLIES (RAKSHA UTPADAN AUR POORTI VIBHAG)", after entry 14, the following entry shall be added, namely :-
- "15. Defence exports and international Cooperation in defence production.";
- (D) under the heading "MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (KHADYA PRASANSAKARAN UDYOG MANTRALAYA)", entry 2 shall be omitted;

(E) under the heading "MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SOOCHANA AUR PRASARAN MANTRALAYA)", for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"I. BROADCASTING POLICY AND ADMINISTRATION

1. All matters relating to radio and television broadcasting within the Union including regulation of the use of All India Radio and Doordarshan by recognised national and regional political parties during elections to the Lok Sabha and State Assemblies and procedure to be followed by the official electronic media during periods of national mourning on the demise of a high dignitary.
2. The enunciation and implementation of the law relating to radio and television broadcasting in India by private Indian companies or Indian nationals.
3. Direction and administration of All India Radio and Doordarshan for ensuring fulfilment of their primary objective to inform, educate and entertain the people of India.
4. All matters relating to the Indian Broadcasting (Programme) Service and the Indian Broadcasting (Engineering) Service.

II. CABLE TELEVISION POLICY

5. Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995).

III. RADIO

6. All business connected with All India Radio embracing news services in the home programmes, programmes for the foreign countries and Indians overseas, radio journals, research in the field of broadcasting engineering, monitoring of foreign broadcasts, programme exchange and transcription services, supply of community receiving sets to State Governments under the community listening scheme, etc.

7. Development of radio Broadcasting throughout the Union, installation and maintenance of Radio Stations and Transmitters and operation of broadcasting services.

#### IV. DOORDARSHAN

8. All business connected with Doordarshan concerning production, selection, import, export and telecast of television programmes including news, telefeature films, etc.
9. Exchange including cultural exchange of television programmes.
10. Commercial advertisements and sponsored programmes on Doordarshan.
11. Development of television throughout the Union, including installation, maintenance and operation of television Programme Production Centres and Transmitters, and operation of television services.
12. Promotion of production of television programmes outside Doordarshan.

#### V. FILMS

13. Legislation under entry 60 of the Union List, viz., 'Sanctioning of Cinematograph films for exhibition'.
14. Administration of Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952).
15. Import of feature and short films for theatrical and non-theatrical viewing.
16. Export of Indian films, both feature and short films.
17. Import of unexposed cinematograph films and various types of equipment required by the film industry.

18. All matters relating to film industry, including developmental and promotional activities thereto.
19. Promotion of good cinema by institution of State awards for films produced in India and assistance through the National Film Development Corporation Limited.
20. Production and distribution of documentaries and newsreels and other films and film strips for internal and external publicity.
21. Grants-in-aid to the National Centre of Films for Children and Young People, Film and Television Institute of India, Pune, and Satyajit Ray Film and Television Institute, Calcutta.
22. Preservation of films and filmic materials including all activities of the National Films Archives of India.
23. Organisation of International Film Festivals in India and participation of India in International Film Festivals abroad.
24. Organisation of Film Festivals under Cultural Exchange Programmes.
25. Film society movement.

#### VI. ADVERTISING AND VISUAL PUBLICITY

26. Production and release of all display advertisements of the Government of India through the media of press, posters, folders, calendars, blotters, leaflets, holdings, cinema slides, etc. and also release of classified advertisements on behalf of the Government of India.

#### VII. PRESS

27. Presentation and interpretation of the policies and activities of the Government of India through the medium of the press.

28. Advising Government on information problems relating to the Press, keeping Government informed of the main trends of public opinion as reflected in the Press and liaison between Government and the Press.
29. Publicity to and for the Armed Forces.
30. General conduct of Government relations with the Press excluding the administration of sections 95 and 96 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).
31. Administration of the Press and Registration of Books Act, 1867 (25 of 1867) relating to Newspapers.
32. Allocation of Newsprint to Newspapers.

#### VIII. PUBLICATIONS

33. Production, sale and distribution of popular pamphlets, books and journals on matters of national importance for internal as well as external publicity, with a view to imparting to the general public at home and abroad upto date and correct information about India.

#### IX. RESEARCH AND REFERENCE

34. To assist the Media Units of the Ministry of Information and Broadcasting (Soochana aur Prasaran Mantralaya) in collection, compilation and preparation of material involving research into published works, etc.
35. Building up of a compendium of knowledge on important subjects and to prepare guidance and background notes on current and other topics for the use of the Media Units of the Ministry.

#### X. PUBLICITY FOR THE POLICIES AND PROGRAMMES OF GOVERNMENT OF INDIA.

- XI. FINANCIAL ASSISTANCE TO DISTINGUISHED MUSICIANS, BOTH VOCAL AND INSTRUMENTAL, DANCERS AND DRAMATISTS WHO HAVE CONTRIBUTED SUBSTANTIALLY TO THE SUCCESS OF ALL INDIA RADIO AND OTHER UNITS OF THE MINISTRY OR THEIR SURVIVORS IN INDIGENT CIRCUMSTANCES.
- XII. ALL MATTERS RELATING TO THE ASIA-PACIFIC BROADCASTING UNION, COMMONWEALTH BROADCASTING ASSOCIATION AND THE NON-ALIGNED NEWS AGENCY POOL.
- XIII. CADRE MANAGEMENT OF THE INDIAN INFORMATION SERVICE (GROUPS 'A' & 'B').
- XIV. ATTACHED AND SUBORDINATE ORGANISATIONS
36. (a) All India Radio.
- (b) Doordarshan.
- (c) Press Information Bureau.
- (d) Directorate of Advertising and Visual Publicity.
- (e) Publications Division.
- (f) Office of the Registrar of Newspapers for India.
- (g) Central Board of Film Certification.
- (h) Films Division.
- (i) Directorate of Film Festivals.
- (j) National Film Archives of India.
- (k) Directorate of Field Publicity.
- (l) Song and Drama Division.
- (m) Research, Reference and Training Division.
- (n) Photo Division.
- (o) Principal Accounts Office.



## XV. AUTONOMOUS ORGANISATIONS

37. (a) Film and Television Institute of India, Pune.
- (b) Satyajit Ray Film and Television Institute, Calcutta.
- (c) National Centre of Films for Children and Young People.
- (d) Indian Institute of Mass Communication.
- (e) Press Council of India.

## XVI. PUBLIC SECTOR UNDERTAKING

38. National Film Development Corporation Limited.
39. Broadcast Engineers Consultants (India) Limited.";

(F) under the heading "DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY (PARMANU OORJA VIBHAG)", for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"1. All matters relating to -

- (i) Atomic Energy Commission (AEC);
- (ii) Atomic Energy Regulatory Board (AERB).

2. All matters relating to Atomic Energy in India, e.g. :

- (i) Administration of the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962), including control of radioactive substances and regulation of their possession, use, disposal and transport;
- (ii) research, including fundamental research in matters connected with atomic energy and the development of its uses in agriculture, biology, industry and medicine; and
- (iii) atomic minerals-Survey, prospecting, drilling, development, mining, acquisition and control;

- (iv) All activities connected with the development and use of atomic energy, including -
- (a) projects and industries concerned with substances and minerals prescribed under the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962); their products and by-products;
  - (b) generation of electricity through the use of atomic energy;
  - (c) design, construction and operation of research and power reactors; and
  - (d) establishment and operation of facilities and plants, including diversification -
    - (i) for the production of materials and equipment required for research in and the use of atomic energy and for research in the nuclear sciences; and
    - (ii) for the separation of isotopes, including plants adaptable to the separation of isotopes as by-product and the production of heavy water as a main or subsidiary product.
- (v) Supervision of State undertakings concerned with prescribed or radio-active substances, including -
- (a) Indian Rare Earths Limited (IREL).
  - (b) Electronics Corporation of India Limited (ECIL).
  - (c) Uranium Corporation of India Limited (UCI).
  - (d) Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL).
  - (e) National Fertilizers Limited, in so far as production of heavy water is concerned.

3. Financial assistance for furtherance of studies in nuclear sciences and for building up adequately trained manpower for the development of the atomic energy programmes, including -
  - (i) assistance to institutions and associations engaged in scientific work and to Universities for advanced study and research in nuclear sciences;
  - (ii) grant of scholarships in scientific subjects to students in Universities and other educational institutions and other forms of financial aid to individuals including those going abroad for studies in nuclear sciences; and
  - (iii) assistance to hospitals and research centres for furtherance of nuclear medicine and research in radiation oncology.
4. International relations in matters connected with atomic energy and nuclear science including -
  - (i) matters relating to atomic energy and nuclear sciences in the United Nations Specialised Agencies, the International Atomic Energy Agency, other International Scientific Organisations including the European Organisation for Nuclear Research (CERN) and relations with other countries; and
  - (ii) correspondence with institutions, Universities, etc. abroad in connection with foreign fellowships and the training of Indian Scientists.
5. All matters relating to personnel under the control of the Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag).
6. Execution of works and purchase of land debitable to the capital budget of the Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag).
7. Procurement of stores and equipment required by the Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag).

8. Financial sanctions relating to the Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag).
9. All matters concerned with the advancement of higher mathematics, including -
  - (i) matters relating to the promotion and coordination of advanced study and research;
  - (ii) international relations in higher mathematics, the Indian National Committee for Mathematics and the International Mathematical Union;
  - (iii) grants to Universities, institutions and associations engaged in the advancement of higher mathematics; and
  - (iv) grant of scholarships and other forms of financial aid for advanced study and research.;
10. All matters relating to the aided institutions under the administrative control of the Department of Atomic energy (Parmanu Oorja Vibhag), e.g.:
  - (i) The Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai.
  - (ii) The Tata Memorial Centre, Mumbai.
  - (iii) The Saha Institute of Nuclear Physics, Calcutta.
  - (iv) The Atomic Energy Education Society, Mumbai.
  - (v) The Institute of Mathematical Sciences, Chennai.
  - (vi) The Institute of Physics, Bhubaneswar.
  - (vii) The Mehta Research Institute of Mathematics and Mathematical Physics, Allahabad.
  - (viii) The Institute for Plasma Research, Gandhinagar.

11. All matters relating to other grant-in-aid institutions concerning activities funded by the Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag).";

(G) under the heading "DEPARTMENT OF SPACE (ANTARIKSH VIBHAG)", for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"1. Space Commission and all matters relating thereto.

2. All matters relating to Space Science, Space Technology and Space Applications, including-

(i) research (including fundamental research) in matters connected with space and the development of its uses;

(ii) all matters connected with Space Technology;

(iii) all matters connected with Space Applications; and

(iv) all activities connected with the development and use of outer Space, including-

(a) projects and industries connected with the utilisation of outer Space including commercial exploitation of Space;

(b) Establishment, procurement and use of Space based systems;

(c) the design, manufacture and launching of Rockets and Satellites; and

(d) work connected with Space Applications."

3. Financial Assistance for furtherance of research and study in Space Science, Space Technology and Space Applications and for building up adequate trained manpower for the development of the Space programme including-

- (i) assistance to institutions and associations engaged in scientific work and to Universities for advanced study and research in Space Science, Space Technology and Space Applications.
- (ii) grant of Scholarships to students in educational institutions, and other forms of financial aid to individuals including those going abroad for studies in the field of Space Science, Space Technology and Space Applications.

International relations in matters connected with Space, including-

- (i) matters relating to Space in the United Nations specialised agencies and in relations with other countries; and
- (ii) correspondence with Universities and other educational institutions abroad in connection with foreign scholarships and the training of Indian scientists.

All matters relating to the personnel under the control of the Department.

Execution of works and purchase of lands debitable to the budget of the Department of Space (Antariksh Vibhag).

Procurement of stores and equipment required by the Department of Space (Antariksh Vibhag).

Financial sanctions relating to the Department of Space (Antariksh Vibhag).

9. All matters relating to the Physical Research Laboratory, Ahmedabad.
10. All matters relating to National Remote Sensing Agency (NRSA).
11. All matters relating to the National Natural Resources Management System including the generation of integrated data mainly based on remote sensing and assistance in the analysis and dissemination of such information.
12. All matters relating to the National Mesosphere, Stratosphere and Troposphere Radar Facility (NMRF).
13. Antrix Corporation Limited."

(K. R. NARAYANAN)

President

[File No. 1/22/1/97-Cab.]

DHIRENDRA SINGH, Jt. Secy.

